

क्रमांक:-निदे/अनिखा/पर्या/वेट ड्रिलिंग/2015/1640-1702

दिनांक 26.08.2019

अतिरिक्त निदेशक खान, जोन- जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।

अधीक्षण खनि अभियंता वृत्त- जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भीलवाड़ा/राजसमंद/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर।

खनि अभियंता- जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/सिरोही/सीकर/अलवर/आमेर/राजसमन्द-प्रथम/द्वितीय/बून्दी-प्रथम/द्वितीय/नागौर/रामगंजमंडी/झुन्झुनू/सोजतसिटी/भीलवाड़ा/धौलपुर/बिजौलिया/चित्तौड़गढ़/मकराना/करौली/प्रतापगढ़/ब्यावर/डूंगरपुर/जालौर/बांसवाड़ा/श्रीगंगानगर/बाड़मेर/जैसलमेर/भरतपुर

सहायक खनि अभियंता-

सलूमबर/ऋषभदेव/टोंक/बालेसर/निम्बाहेड़ा/कोटपूतली/गोटन/झालावाड़/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/चूरू/हनुमानगढ़/नीमकाथाना/रूपवास/सावर/ब्यावर

विषय :- सैण्डस्टोन खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों में वेट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क उपयोग करने बाबत।

संदर्भ :-शासन पत्रांक प.14(6)खान/गुप-2/2015पार्ट-55 जयपुर, दिनांक 22.08.2019 (प्रति संलग्न).

महोदय,

राज्य के जिन जिलों में सैण्डस्टोन खनन का कार्य किया जाता है, वहाँ पर खान श्रमिकों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने के प्रकरण सामने आये हैं। विभाग द्वारा इस दिशा में खनन कार्य में वेट ड्रिलिंग पद्धति एवं डस्ट मास्क के उपयोग के सम्बन्ध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 34(2)(X) व (XI) में भी प्रावधान किया जाकर सैण्डस्टोन खनन कार्य में वेट ड्रिलिंग पद्धति अपनाये जाने हेतु सभी खननपट्टा धारकों/क्वारी अनुज्ञापत्र धारकों को पाबन्द किया हुआ है परन्तु इसके बावजूद नियमों की कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी शासन/निदेशालय स्तर से कई बार निर्देशित किया जा चुका है।

शासन निर्देशानुसार पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि वेट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क के उपयोग की दृष्टि से खानों/क्वारी अनुज्ञापत्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जावे। वेट ड्रिलिंग का उपयोग/डस्ट मास्क प्रयोग में नहीं लेने वाले खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाइसेंस धारियों को नियमानुसार दण्डित करने की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जावे। इसमें खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस को खण्डित करना भी सम्मिलित है।

उक्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ-साथ आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप सिलिकोसिस की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला स्तर पर PHC/CHC, जिला प्रशासन, खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाइसेंसधारियों के एसोसियेशन, खनन श्रमिक एसोसियेशन, एन0जी0ओ0 आदि के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर सिलिकोसिस प्रभावित/संभावित खनन क्षेत्रों में खान मालिकों/श्रमिकों में जागृति उत्पन्न करने तथा नियमों

की प्रभावी क्रियान्वति के लिये त्रैमासिक रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन कराना भी सुनिश्चित करावें। इन शिविरों में निदेशालय स्तर/जोन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का भाग लिया जाना भी आवश्यक होगा। इन जिलेवार आयोजित शिविरों का कार्यवाही विवरण मय फोटोग्राफ अधीक्षण खनि अभियन्ता स्तर पर संकलित किया जाकर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि निदेशालय स्तर से त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जाकर शासन को अग्रेषित की जा सकें।

उक्त निर्देशों की पालना कड़ाई से सुनिश्चित की जाकर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(जे.के.उपाध्याय)IAS
निदेशक

क्रमांक:-निदे/अनिखा/पर्या/वेत डिलींग/2015/1703-1711

दिनांक 26.08.2019

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2019 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक खान-मुख्यालय/पर्यावरण एवं विकास/सर्तकता।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रभारी अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एम. को प्रेषित कर निवेदन हैं कि विभागीय वेबसाईट पर उपरोक्त पत्रों को उपलोड करने की कार्यवाही करावें।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता, मुख्यालय प्रथम/द्वितीय/तृतीय।

(एम.पी. मीना)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

राजस्थान सरकार

खान(युप-2) विभाग

क्रमांक- प.14(6)खान/युप-2/2015पार्ट-55

जयपुर, दिनांक:

22 AUG 2019

निदेशक,

खान एवं मू-विज्ञान विभाग,

उदयपुर।

Most Imp.

विषय- सैण्डस्टोन खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों में वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क उपयोग करने बाबत।

राज्य के कतिपय जिलों में सैण्डस्टोन का खनन कार्य किया जाता है वहाँ पर खान श्रमिकों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने के प्रकरण सामने आये हैं। सिलिकोसिस को बीमारी से बचने के उपाय निरोधात्मक ही हो सकते हैं जिसके तहत सिलिकामय धूल के कणों को श्वास में जाने से रोका जाना होता है। इस दिशा में खनन कार्य में वैट ड्रिलिंग पद्धति को अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क के उपयोग के संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 34(2)(x) व (xi) में भी प्रावधान किया गया है।

खान विभाग द्वारा सैण्डस्टोन खनन कार्य में वैट ड्रिलिंग पद्धति अपनाये जाने हेतु सभी खनन पट्टाधारकों/क्वारी अनुज्ञापत्र धारकों को पाबंद किया हुआ है परंतु इसके बावजूद नियमों की कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है, इस संबंध में आपको पूर्व में भी शासन स्तर से कई बार निर्देशित किया जा चुका है पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क के उपयोग की दृष्टि से भी विभाग के अधिकारियों द्वारा खानों/क्वारी अनुज्ञापत्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जावे। वैट ड्रिलिंग का उपयोग/डस्ट मास्क प्रयोग में नहीं लेने वाले खनन पट्टाधारकों/क्वारी लाइसेंस धारकों को नियमानुसार दण्डित करने की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जावे। इसमें खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस को खण्डित करना भी सम्मिलित है।

उक्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ-साथ आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप सिलिकोसिस की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला स्तर पर PHC/CHC, जिला प्रशासन, खनन पट्टाधारकों/क्वारी लाइसेंसधारकों के एसोसियेशन, खनन श्रमिक एसोसियेशन, एनओजीओ आदि के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर सिलिकोसिस प्रभावित/संभावित खनन क्षेत्रों में खान मालिकों/श्रमिकों में जागृति उत्पन्न करने तथा नियमों की प्रभावी क्रियान्वति के लिये त्रैमासिक रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन कराना सुनिश्चित करावें। इन शिविरों में निदेशालय स्तर/जोन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का भाग लिया जाना भी आवश्यक होगा। इन शिविरों का कार्यवाही विवरण नये फोटोग्राफ निदेशालय स्तर पर संकलित कर शासन को त्रैमासिक रूप से भिजवायें।

उक्त निर्देशों की पालना कड़ाई से सुनिश्चित की जाए।

ADMLERD

इस पत्र के
विभागीय website पर mine
owners एवं विभागीय अधिकारियों
को पालना के लिए एवं कृपया (क्या करनी) का
अरोमाग (A) कार्यवाही सुनिश्चित करें
पाबंद करें

26/8

22.8.2019

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव